मु. नं. 65/2017 द्वारका प्रसाद - बनाम सज्जन कुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.11.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.11.24 को पेश हो।	
19.11.24	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित [illegible] कार्य बहस। दिनांक 17.12.24 को पेश हो	(हस्ताक्षर)
17.12.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 3.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सत्यमेव जयते सीकर
3.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 65/2017

द्वारका प्रसाद (मृतक)
1/1 श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. द्वारका प्रसाद
1/2 अशोक कुमार
1/3 गजानन्द शर्मा
1/4 बृजमोहन शर्मा पुत्रगण स्व. द्वारका प्रसाद
1/5 मीरा देवी
1/6 अन्जू देवी
1/7 मन्जू देवी पुत्रीया स्व. द्वारका प्रसाद
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सज्जन कुमार पुत्र श्री नाथुराम जाति ब्राह्मण निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

2 सुशीला देवी पत्नी ब्रहमदत्त मोदी जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 1 नीमकाथाना जिला सीकर।

3 कमला पत्नी रामजीलाल
4 विनोद पुत्र रामजीलाल
5 संजय पुत्र रामजीलाल
6 किशन पुत्र रामजीलाल

7 महावीर प्रसाद पुत्र रामनारायण समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

8 तहसीलदार जी नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश
दिनांक 09.05.2016 मु.नं. 44/2016 उनवानी
द्वारका प्रसाद बनाम सज्जन कुमार आदि न्यायालय
एस.डी.ओ महोदय नीमकाथाना जिला सीकर.
प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 क आर.टी.एक्ट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शंकरप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 44/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 335 से 341 वाके ग्राम चला से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 672 में से होकर सड़क गुहाला चला नीमकाथाना जिला सीकर तक रास्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया प्रार्थी के आवेदन को एस डी ओ नीमकाथाना जिला सीकर ने दिनांक 09.05.2016 को खारिज फरमा दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्व ग्राम चला नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.62 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.78 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हिस्सा 1/2, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हिस्सा 14/17, मु. बिदामी देवी, रामनारायण, रामजीलाल, महावीरप्रसाद पिता रामनारायण हिस्सा 3/17 दर हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है बिदामी देवी व रामजीलाल फौत हो गये है। जिनके कानूनी वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7 है। खसरा नम्बर 670 व 672 के बीच में खसरा नम्बर 671 है जिसमे से नीमकाथाना से सीकर सड़क है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 671 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 672 के बीच में से होकर अपनी खातेदारी की भूमि में पुर्वजों के समय से बेरोकटोक आता जाता रहा है व कृषि भूमि में काश्त हेतु ट्रेक्टर, ऊंट लढ्ढे ले जाता रहा है। खसरा नम्बर 672 के पूर्वी तरफ खुर्रा बनने पर अपीलान्ट खसरा नम्बर 672 से पूर्वी तरफ बने खुरे पर से अपनी खातेदारी की भूमि में आता जाता रहा है व ट्रेक्टर आदि बुवाई हेतु ले जाता रहा है जो रास्ता 16 फुट चोड़ा है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और न ही रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए इस कारण अपीलान्ट अपनी भूमि की बुवाई के ट्रेक्टर, ट्रोली उंट लढढा आदि नहीं ले जा पा रहा है जिससे अपीलान्ट को परेशानी हो रही है। अपीलान्ट को अपनी खातेदारी की भूमि से ट्रेक्टर, ट्रोली उंट लढढा आदि ले जाने के लिए 16 फुट चोड़े रास्ते की आवश्यकता है रास्ता होने से अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि में आसानी से आ जा सकेगा व भूमि का काश्त बिना किसी बाधा के बिना किसी विवाद के कर सकेंगे जिसमें भविष्य में होने वाली विवादों से मुक्ति मिल सकेगी। अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 09.05.2016 मौके के विपरित बाला बाला रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

को फायदा पहुचाने के लिए बनाई गई है। पटवारी न मौके पर गया व न ही प्रार्थी को सूचित किया। कानूनन रिपोर्ट तहसीलदार को बनाकर भेजनी चाहिए थी। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में मद संख्या 4 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 338 व 340 के पूर्व में पुराना गै. मु. नाला है जिसके नम्बर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है उल्लेखनीय होगा कि हर जमीन रास्ता पहाड़ का खसरा नम्बर होता है जो नला के नम्बर नहीं होना आश्चर्यजनक है व जांच का विषय है अपीलान्ट का रास्ता नला में से होकर कभी नहीं रहा है नला करीब 30–30 फुट गहरे खडडे है। अपीलान्ट के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 671 से जो सड़क है इस सड़क के खसरा नम्बर 672 में घुसकर अपीलांट अपने खेत में जाता है ट्रक व ट्रेक्टर पशु लेकर व पैदल चलकर जाता है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा बिना कोई सूचना के लोक अदालत में पत्रावली रखकर पत्रावली खारिज फरमा दी उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2016 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट ने खसरा नम्बर 335 से 341 में आवागमन हेतु 672 में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 338, 340 के पूर्व में प्रचलित रास्ता होना एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का अंकन मौका रिपोर्ट में है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे से भी वैकल्पिक रास्ता होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष धारा 251 के अंतर्गत प्रचलित रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन किया था। तहसीलदार नीमकाथाना ने प्रकरण संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

4/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 से रास्ता खोलने के आदेश दिये है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थी था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2016 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट ने खसरा नम्बर 335 से 341 में आवागमन हेतु 672 में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 338, 340 के पूर्व में प्रचलित रास्ता होना एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का अंकन मौका रिपोर्ट में है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे से भी वैकल्पिक रास्ता होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष धारा 251 के अंतर्गत प्रचलित रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन किया था। तहसीलदार नीमकाथाना ने प्रकरण संख्या 4/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 से रास्ता खोलने के आदेश दिये है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थी था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं,
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर